कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी बलरामपुर
जिला बलरामपुर—रामानुजगंज (छ.ग.)

दूरभाष न. 07831—273333, ई—मेल— dplcbalrampur@gmail.com

निविदा

बलरामपुर, दिनांक 10/10/2019

क्रमांक/ 871 /DPLC/2019 :/ /: जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बलरामपुर में संचालित आवासीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणरत् हितग्राहियों को प्रशिक्षण अवधि में भोजन (दोपहर एवं रात्रिकालिन) एवं चाय—नास्ते (सुबह एवं सायं) की व्यवस्था नीचे दर्शित अनुसार विवरण में उपलब्ध कराने के लिये बलरामपुर जिले के पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों से निविदा दिनांक 17/10/2019 तक सांय 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय प्राचार्य जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी (तहसील के सामने) बलरामपुर, जिला बलरामपुर—रामानुजगंज के पते पर आमंत्रित किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	भोजन/नास्ते हेतु समय—सारणी	विवरण
1	सुबह का नास्ता (07:00 से 08:00 बजे तक)	चाय या कॉफी, इनमें कोई 1 सामाग्री नास्ता नार्थ इंडियन एवं साउथ इंडियन :— नार्थ इंडियन :— पुडी+सब्जी, आलु पराठा, चीला, पोहा+सब्जी, समोसा, आलुचाप, ब्रेड भजिया, दाल बड़ा, एवं जलेबी आदि। साउथ इंडियन :— प्लेन दोसा, मसाला दोसा, उत्पम, इडली, सांभर बड़ा आदि।
2	दोपहर का भोजन (12:30 से 01:30 बजे तक)	चावल :— सोनम, जीराफुल, बदल—बदल कर, बासमती हफ्ते में एक दिन। दाल :— अरहर दाल, उरद, मसुर बदल—बदल कर। रोटी :— हितग्राही के इच्छानुसार। सब्जी :—दो प्रकार की सब्जी, जिसमें एक मौसमी आवश्यक हो। दही या रायता, अचार, सलाद, पापड़। मिस्ठान :—रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, इसमें कोई 1 नग
3	शाम का नास्ता (04:00 से 04:30 बजे तक)	चाय एवं कॉफी इनमें से कोई एक बिस्किट, मिक्चर या टोस्ट के साथ।
4	रात्रि कालीन भोजन (08:00 से 09:00 बजे तक)	चावल :— सोनम, जीराफुल, बदल—बदल कर, बासमती हफ्ते में एक दिन। दाल :— अरहर दाल, उरद, मसुर बदल—बदल कर। रोटी :— हितग्राही के इच्छानुसार। सब्जी :— दो प्रकार की सब्जी जिसमें एक मौसमी आवश्यक हो। दही या रायता, अचार, सलाद, पापड़। मांसाहारी एवं अण्डा हितग्राही के इच्छानुसार सप्ताह में 1 दिवस।

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी बलरामपुर
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

दूरभाष न. 07831–273333, ई–मेल– dplcbalrampur@gmail.com

–: शर्तें :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह ही निविदा में भाग ले सकते है, एवं आवेदक को उपरोक्त अनुसार प्रति नग प्रस्तावित दर के साथ निर्धारित प्रारूप में देय होगा।

2. आवेदन के साथ स्वयं सहायता समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा में भाग लेने हेतु संबंधित निविदादाता (स्वयं सहायता समूह) द्वारा राशि रू. 10000.00 (दस हजार रू. मात्र) का एफ.डी.आर. अथवा बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी बलरामपुर के पक्ष में अमानत के रुप में जमा करना होगा। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् सफल निविदादाता को छोड़कर असफल निविदाता को अमानत राशि रू. 10000.00 (दस हजार रू. मात्र) वापस कर दिया जावेगा एवं सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा समाप्ति तिथि तक जमा रखा जावेगा। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज दर देय नही होगा।

4. प्रतिदिन सब्जी बदल–बदलकर उपलब्ध कराना होगा एवं हितग्राहियों के इच्छानुसार मात्रा में देय होगा।

5. प्रशिक्षणार्थियों हेतु शुद्ध पेयजल एवं ताजा गुणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना होगा।

6. बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास एवं लाईवलीहुड कॉलेज परिसर में अलग–अलग कैन्टिन संचालित होगा। इस हेतु पर्याप्त मात्रा में बर्तन, एवं अन्य आवश्यक सामग्री संबंधित समूह को ही उपलब्ध कराना होगा।

7. निर्धारित समयवधि में भोजन पकाने, परोसने एवं प्लेट सफाई कार्य संबंधित समूह द्वारा ही किया जावेगा।

8. बालिका छात्रावास के कैन्टिन में केवल महिला स्टॉफ ही रखना होगा।
9. भोजन व्यवस्था हेतु लगने वाले समस्त सामग्री, अधोसंरचना, खाद्य, सामग्रियों का रख–रखाव एवं साफ–सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित समूह की होगी।

10. प्रतिदिवस प्रति हितग्राही पर अधिकतम 120.00 रू. (सभी कर सहित) भोजन पर देय प्रावधान है, अर्थात 120.00 रू. से अधिक की निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

11. यदि किसी समूह द्वारा प्रतिदिन प्रतिहितग्राही हेतु अधिकतम निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम दर पर निविदा भरी जाती है तो आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

12. 02 समूहों की न्यून्तम दर समान होने की दशा में जिस समूह का सर्वाधिक कार्यानुभव होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

13. भोजन देयक का भुगतान प्रतिमाह अथवा बजट उपलब्धता के आधार पर देय होगा। देयकों में नियमानुसार कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

14. यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थायी होगा एवं दोनों पक्षों द्वारा 30 दिवस पूर्व सूचना देकर निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जा सकती है।

15. यदि प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी कारणवश आपकी संस्थान द्वारा भोजन व्यवस्था नही कर पाने कि स्थिति में दण्ड स्वरूप देय राशि में कटौती करने का अधिकार कार्यालय सुरक्षित रखती है।

16. भोजन कि गुणवत्ता का परीक्षण समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा किया जावेगा अर्थात् गुणवत्ता पूर्ण भोजन कि व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

17. भोजन व्यवस्था संचालन के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन कराना होगा।

18. निविदा हेतु लिफाफा अ में अमानत राशि (बैंक ड्रॉफ्ट/एफ.डी.आर.) रखा जाऐगा एवं लिफाफा ब में आवेदन प्रारुप तथा संबंधित दस्तावेज रखा जायेगा एवं दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर जमा किया जायेगा।

19. प्रस्तुत निविदा स्पष्ट अंकित होने पर ही मान्य किये जायेगें।

20. निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक ....16.../10/2019 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय प्राचार्य जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (तहसील के सामने) बलरामपुर से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

21. निविदा दिनांक 17/10/2019 (कार्यालयीन समय) तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (तहसील के सामने), बलरामपुर में प्राप्त होना अनिवार्य है। डाक प्राप्ति में विलंब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

22. निविदा दिनांक 18/10/2019 कार्यालयीन समय सायं 5.00 बजे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर के कार्यालय में खोली जावेगी। संबंधित समूह के प्रतिनिधि यदि चाहे तो उपस्थित रह सकते है। (निविदा खुलने की तिथि में कार्य की व्यस्तता के कारण परिवर्तन हो सकता है)।

23. क्रय/चयन समिति बिना कारण बताये किसी भी एवं समस्त निविदाएँ निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

24. चयनित समूह की कार्यवधि 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी एवं कार्य की गुणवत्ता के आधार पर कार्यवधि में वृद्धि की जा सकेगी तथा कार्य संतोषप्रद न होने की दशा में कार्यादेश को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जावेगी

25. उक्त सभी परिस्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बलरामपुर का निर्णय अथवा निर्देश सर्वमान्य होगा।

कलेक्टर सह–अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज